

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 1()विद्यारंबल/आकाशि/गे.फे./ दिशा निर्देश/21/81 दिनांक 14.07.2022 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2) वित्त/सा.वि.ले. नि./2021 दिनांक 30.03.2021 की अनुपालना में महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा "विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत निम्न विषयों में अनुभवी/योग्य व्यक्तियों को गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 13.08.2022 के सांयकाल 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् व्यक्तिशः या डाक से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थी/महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के तहत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी ही आवेदन करें। निजी अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जावेगा। उपर्युक्त व्यवस्था पूर्णरूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिए है तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा। गेस्ट फ़ैकल्टी से निर्धारित शपथ पत्र भरवाकर लिया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्तों, शपथ पत्र आदि से संबंधित अन्य जानकारी महाविद्यालय के पोर्टल <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcsujangarh> पर देखें।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	विषय का नाम
1.	जीएचएस राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़	कला	भूगोल, उर्दू
2.	मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़	कला	हिन्दी, गृह विज्ञान
3.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, साण्डवा (बीदासर)	कला	हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन

mac

प्राचार्य
जीएचएस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सुजानगढ़

विज्ञापन में शामिल नहीं-

कार्यालय प्राचार्य, जीएचएस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुजानगढ़-331507 जिला-चूरु राजस्थान
दिनांक: 03-08-2022
क्रमांक: एफ1()स्था/रामसु/2022-23/ 521-526

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. संवाददाता, दैनिक भास्कर, सुजानगढ़ को भेजकर निवेदन है कि न्यूनतम स्थान में उक्त विज्ञापन केवल सीकर संस्करण में प्रकाशित करावें तथा श्रीमान् निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर द्वारा दर अनुमोदन के प्रमाणित प्रति सहित बिल अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायें।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
3. नोटिस बोर्ड-नगरपालिका, पंचायत समिति, तहसील व उपखण्ड कार्यालय, सुजानगढ़/लाड़नूँ।
4. लेखाशाखा/स्टोर।
5. रक्षित पंजिका।

mac

प्राचार्य
जीएचएस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सुजानगढ़